2016 का विधेयक संख्यांक **19**

[दि कांस्टिट्यूशन (शिड्यूल्ड कास्ट्स) आर्डर (आमेंडमेंट) बिल, 2016 का हिन्दी अनुवाद]

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2016

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2016 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का, किसी राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में इस उपबंध के प्रवृत्त होने का प्रतिनिर्देश है ।

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का संशोधन ।

2. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची में,-- सं आ.19

(क) भाग 5 - हरियाणा में,--

(i) प्रविष्टि 1 के पश्चात्, अंतःस्थापित करें,--

"1 क. अहेरिया, अहेरी, हरी, हेरी, थोरी, तुरी " ;

(ii) प्रविष्टि 29 के पश्चात्, अंतःस्थापित करें,- 5

"29क. राय सिख " ;

(ख) भाग 8 - केरल में, प्रविष्टि 36 और प्रविष्टि 37 के स्थान पर रखें,--

"36. मलयन (कन्नूर, कासरागोड, कोझीकोड़ और वयनाड जिले में समाविष्ट क्षेत्रों में)

37. मण्णन, पथियन, पेरुमण्णन, पेरुवण्णन, वण्णन, वेलन"; 10

(ग) भाग 13 - ओडिशा में, प्रविष्टि 8 और प्रविष्टि 49 का लोप करें ;

(घ) भाग 19 - पश्चिमी बंगाल में, प्रविष्टि 60 के स्थान पर रखें-

"60. चेन " ;

(ड.) भाग 23 - छत्तीसगढ़ में, प्रविष्टि 25 के स्थान पर रखें--

"25. घासी, घसिया, सैस, साहिस, सारथी, सूट-सारथी, तंवर ।" । 15

उद्देश्यों और कारणों का कथन

संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (1) के उपबंधों के अनुसार, विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जातियां विनिर्दिष्ट करने वाले छह राष्ट्रपतीय आदेश जारी किए गए थे । इन आदेशों को संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (2) के अधीन अधिनियमित संसद के अधिनियमों द्वारा समय समय पर संशोधित किया गया है ।

2. छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकारों ने कतिपय समुदायों को सम्मिलित करके अनुसूचित जातियों की सूची में कतिपय उपांतरणों और कतिपय समुदायों के संबंध में क्षेत्र संबंधी निर्बंधनों को हटाने का और ओडिशा राज्य के मामले में कतिपय समुदायों को अपवर्जित करने का प्रस्ताव किया है ।

3. भारत के महारजिस्ट्रार और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने प्रस्तावित उपांतरणों के विषय में अपनी सहमति दे दी है ।

4. उपरोक्त परिवर्तनों को प्रभावी करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, ओडिशा और पश्चिमी बंगाल के संबंध में संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

5. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
17 फरवरी, 2016

थावर चन्द गहलोत

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल और पश्चिमी बंगाल राज्यों के लिए अनुसूचित जातियों की सूची में कतिपय नई जातियों, समानार्थी समुदायों को सम्मिलित करने और विद्यमान प्रविष्टियों को उपांतरित करने के लिए है । इसमें, इस विधेयक के परिणामस्वरुप, ऐसे व्यक्तियों के, जो नए जोड़े गए समुदायों से संबंध रखते हैं, और जो अनुसूचित जातियों के विकास के लिए अभिप्रेत स्कीमों के फायदे के लिए हकदार बन जाएंगे, उसके मद्दे कुछ अतिरिक्त आवर्ती और अनावर्ती व्यय अंतर्वलित है ।

2. जाति वार डाटा उपलब्ध न होने के कारण इस मद्दे उपगत होने वाले संभावित व्यय की सही-सही मात्रा का प्राक्कलन करना संभव नहीं है ।

उपाबंध

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950

(सं0 आ0 19)

* * * * * *

भाग 5 --- हरियाणा

* * * * * *

1. आद धर्मी

* * * * * *

29. फरेरा

* * * * * *

भाग 8---केरल

* * * * * *

36. मलयन [राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मालाबार जिले में समाविष्ट क्षेत्रों में]

37. मण्णन, पथियन, पेरूमण्णन, वण्णन, वेलन

* * * * * *

भाग 13---उड़ीसा

* * * * * *

8. बारीकी

* * * * * *

49. कुम्हारी

* * * * * *

भाग 19---पश्चिमी बंगाल

* * * * * *

60. चेन (माल्दा, मुर्शिदाबाद, नादिया और दक्षिण दीनाजपुर जिलों में) ।

* * * * * *

भाग 23 -- छत्तीसगढ़

* * * * * *

25. घासी, घसिया

* * * * * *

GMGIPMRND—4372LS(CRC)—22-02-2016.